

जदी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली  
 को दिनांक 25/11/19 को भेजे गये।  
 डाकु की रकम पूर्व पेशी पर पेश की थी लेकिन  
 आज पेशी दिनांक तक प्रतिजारी कि और से कोई उपस्थित  
 नहीं हुआ जथास्थान समय के दौरान बार-बार रकम-सम  
 का आग्रह किया जाई गई लेकिन प्रतिजारी कि और से  
 कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः प्रतिजारी कि अनुपस्थिति  
 के कारण प्रतिजारी के विरुद्ध एक तरफ्त कार्यवाही  
 अग्रस में लाई जाती है।

जारी अधिवक्ता पत्रावली दिनांक 12/11/19

को पेश हो

सहायक बल्लर एव कायपालक दण्डनायक  
 (फास्ट ट्रैक) फलोदी

12/11/19

जारी अधिवक्ता अप.1

जारी अधिवक्ता द्वारा साक्षर धनु

सुतान सिंह पुत्र अमरसिंह व अंगसिंह पुत्र कल्याणसिंह  
 को पेश किया जिनके वापस दर्ज किए जाकर शामिल  
 किया है। जारी अधिवक्ता और ~~साक्षर धनु~~ नही कल्याण  
 साक्षर हैं अतः जारी साक्षर बंद किए जाते हैं।

प्रतिजारी के विरुद्ध एक तरफ्त कार्यवाही अग्रस  
 में लाई जाने के कारण प्रतिजारी साक्षर की आवश्यकता  
 नहीं है। अतः जारी बंदक पत्रावली दिनांक 15/11/19 को  
 पेश हो।

सहायक बल्लर एव कायपालक दण्डनायक  
 (फास्ट ट्रैक) फलोदी

15/11/19

जारी अधिवक्ता अप.1

जारी अधिवक्ता ने अपनी

बंदक सुनाई। दौरान बंदक जारी अधिवक्ता  
 ने बताया कि जारी सं. 01 के पिता व जारीनी सं.  
 02 के पति अमरसिंह ने अपनी वापस च.न. 150/6

